अति-महत्वपूर्ण

(संसदीय राजभाषा समिति मामला)

सं. रा.भा.5(14)/आश्वासन-अनु.कार्र./2014/ 67
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,
राजभाषा विभाग,
समाहर्तालय,
दीव.

दिनांक :- 09/07/2014.

प रि प त्र / CIRCULAR

विषय : अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना तथा लिफाफों पर केवल हिन्दी में पता लिखना.

दीव जिला स्थित सभी सरकारी कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों को मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा जुलाई, 2013 माह में कार्यालयों में हिन्दी के कामकाज की समीक्षा की गई थी । जिला प्रशासन द्वारा समिति को यह आश्वासन दिया गया था कि 'क", "ख" एवं "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाएंगे तथा कार्यालय द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पता केवल हिन्दी में लिखा जाएगा ।

अत: इस संबंध में आप सभी से अनुरोध है कि अपने-अपने कार्यालयों में अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजें । साथ-साथ कार्यालय के प्रेषण लिपिक को यह निदेश भी दें कि कार्यालय से भेजे जाने वाले सभी पत्रों के लिफाफों पर पता अनिवार्य रूप से हिन्दी में लिखा जाए । कृपया उच्च प्राथमिकता देते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

09/07/2014
(डॉ. अनिल कौशिक)
सहायक निदेशक (रा.भा.)/
सदस्य सचिव, रा.का.स., दीव.

सेवा में,

सभी कार्यालय प्रमुख,
दीव जिला प्रशासन, दीव.

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. माननीय प्रशासक के स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण.
2. सचिव (राजभाषा), दमण एवं दीव, दमण.
3. समाहर्ता एवं जिलाधीश/अध्यक्ष, रा.का.स., दीव.
4. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
5. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नवी मुम्बई.
6. सहायक निदेशक (रा.भा.) (मुख्यालय), राजभाषा विभाग, दमण.
7. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, दीव (वेबसाइट पर प्रकाशित के लिए अनुरोध सहित).